रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.) 72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1986/श्रावण 31, 1908
No. 10] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1986/SRAVANA 31, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1986.

का. नि. आ. 10(अ):—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 15 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि प्रशासनिक कठिनाई के निवारण के लिए यह आवश्यक है, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मोरार छावनी बोर्ड के सभी निर्वाचित सदयों का कार्य-काल 30 नवम्बर, 1986 तक अथवा उनके उत्तराधिकारियों के चयन की तारीख सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. पी सी 29/सा./चुनाव/छा./मु. तथा छा./85-3303/रक्षा (क्यू. एंड सी.)]

विष्णु एन. बहादुर, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd August, 1986

S.R.O. 10 (E) :—In exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-Section (1) of Section 15 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that it is necessary in order to avoid administrative difficulty, hereby extend the term of office of all the elected members of Morar Cantonment Board upto 30th November, 1986 or the date of notification of election of their successors in office in official gazette, whichever is earlier.

[F. No. PC 29|Gen|Ele|Cantt.|L&C|85|3303|D (Q&C)]

VISHNU. N. BAHADUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986